

No.44-19/2009-SPB-II
Government of India
Ministry of Communications & IT
Department of Posts

Dak Bhavan, New Delhi-110 001
Dated the 01 January, 2014

To

All Chief Postmasters General

Subject:- Recruitment Rules, 2013 for Higher Selection Grade-II (HSG-II) in Post Offices (including Foreign Post Offices other than at Mumbai), Railway Mail Service Offices, Savings Banks Control Organization, Circle Office/Regional Offices, Returned Letter Offices, Foreign Posts at Mumbai and Independent Postal Stores in the Department of Posts.

Sir/Madam,

I am directed to forward herewith a copy of Department of Posts, Post Offices (including Foreign Post Offices other than at Mumbai), Railway Mail Service Offices, Savings Banks Control Organization, Circle Office/Regional Offices, Returned Letter Offices, Foreign Posts at Mumbai and Independent Postal Stores Depot, Higher Selection Grade-II, Group 'B' Recruitment Rules, 2013 for information and necessary action.

2. The revised Recruitment Rules of Higher Selection Grade-II have been notified in the Gazette of India vide G.S.R. No. 746(E) on 22.11.2013.


Yours faithfully,


(Raj Kumar)
Director (Staff)

Encl:- As above

Copy forwarded for information and necessary action to:

1. PPS to Secretary (Posts).
2. PA/PS to Members, Postal Services Board.
3. Lak Sabha Secretariate/Rajya Sabha Secretariat.
4. The Secretary, Union Public Service Commission, New Delhi w.r.t. letter No. 3/21A(5)/2011-RR dated 14.01.2013
5. Ministry of Law and Justice (Legislative Department), Shastri Bhawan, New Delhi.
6. Department of Personnel & Training, North Block, New Delhi.
7. **General Manager, CEPT, Mysore** – For uploading the same on the website of India Post under heading "Higher Selection Grade-II".
8. Director, Rafi Ahmed Kidwai National Academy, CGO Complex, Ghaziabad-201002.
9. Directors, Postal Training Centers
10. SPG/PE-I/PE-II/SR/SPB-I/Technology Sections, Dak Bhawan.
11. All recognized Unions and Federations.
12. Guard File.


(Raj Kumar)
Director (Staff)

Encl:- As above



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 573]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 22, 2013/अग्रहायण 1, 1935

No. 573]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 22, 2013/AGRAHAYANA 1, 1935

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2013

सा.का.नि. 746(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए और डाक-तार (चयन ग्रेड पद) भर्ती नियमावली, 1976; जहां तक कि वह उच्चतर चयन ग्रेड-II के पदों से संबंधित है और भारतीय डाक-तार उच्चतर चयन ग्रेड-II, हैड क्लर्क और उच्चतर चयन ग्रेड-I हैड क्लर्क (बचत बैंक नियंत्रण और पेयर्सिंग संगठन) भर्ती नियमावली, 1981, जहां तक कि वह उच्चतर चयन ग्रेड-II के पदों से संबंधित है, का उन बातों के सिवाय, अधिक्रमण करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, डाक विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में उच्चतर चयन ग्रेड-II के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों को संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डाक विभाग, डाकघरों (मुम्बई के अतिरिक्त अन्य विदेश डाकघरों सहित), रेलवे डाक सेवा कार्यालय, बचत बैंक नियंत्रण संगठन, सर्किल कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, पुनः प्रेशण कार्यालय, मुम्बई में विदेश डाकघर और स्वतंत्र डाक भंडार डिपो, उच्चतर चयन ग्रेड-II, ग्रुप "ख" पद भर्ती नियमावली, 2013 कहा जा सकता है।

2. आवेदन पत्र.—ये नियम, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 1 में निर्दिष्ट पदों के मामले में लागू होंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे जो कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं इत्यादि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपरोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निर्हरताएं.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लिए लागू कानून के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेंगे।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए कारण हैं उन्हें लेखाबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेंगे।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पूर्व-सैनिकों और अन्य विदेश प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन पद अथवा गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
1. डाकघरों (मुम्बई के अतिरिक्त अन्य विदेश डाकघरों सहित) में उच्चतर चयन ग्रेड-11	1711* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप 'ख', अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैंड - 2 9300-34800 रु. + 4200 रु. ग्रेड वेतन	चयन	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित भौक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु और भौक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति—सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिभातता
7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में वे श्रेणियां जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना किस प्रकार की है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने से पहले संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है
11	12	13
<p>पदोन्नति : डाकघर में वेतन बैंड-1 में 5200-20200 रु. + 2800 रु. के ग्रेड वेतन में 6 वर्ष की नियमित सेवा वाले निम्न चयन ग्रेड अधिकारी जिन्होंने उच्चतर पद के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों से संबंधित दो सप्ताह का विभागीय प्रिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। टिप्पणी 1: इन नियमों की अधिसूचना की तारीख पर डाकघरों में नियमित आधार पर निम्न चयन ग्रेड के फीडर पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के लिए अर्हक सेवा तीन वर्ष ही रहेगी। टिप्पणी 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हता अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, की पदोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के नाम पर भी विचार किया जाएगा बतर्त कि उनकी कार्यावधि अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा, ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठों, जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है,</p>	<p>गुप 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्न शामिल होंगे—</p> <ol style="list-style-type: none"> निदेशक डाक सेवाएं - अध्यक्ष सहायक पोस्टमास्टर जनरल - सदस्य वरिष्ठ अधीक्षक, डाकघर - सदस्य 	<p>संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।</p>

के साथ ही अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पणी 3: पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पूर्व अथवा वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है, की सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिए समनुरूप ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा सिवाय उन परिस्थितियों में जहां एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमान का एक समान ग्रेड वेतन या वेतनमान में विलयन किया गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों तक सीमित होगा जिनके लिए उक्त ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड होगा।		
--	--	--

1	2	3	4	5	6
2. रेलवे डाक सेवा कार्यालयों में उच्चतर चयन ग्रेड-II	384* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप 'ख', अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैंड - 2 9300-34800 रु. + 4200 रु. ग्रेड वेतन	चयन	लागू नहीं

7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा

11	12	13
<p>पदोन्नति :</p> <p>रेलवे डाक सेवा कार्यालय में वेतन बैंड-1 में 5200-20200 रु. + 2800 रु. के ग्रेड वेतन में 6 वर्ष की नियमित सेवा वाले निम्न चयन ग्रेड अधिकारी जिन्होंने उच्चतर पद के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों से संबंधित दो सप्ताह का विभागीय प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है।</p> <p>टिप्पणी 1: इन नियमों की अधिसूचना की तारीख पर रेलवे डाक सेवा कार्यालयों में नियमित आधार पर निम्न चयन ग्रेड के फीडर पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के लिए अर्हक सेवा तीन वर्ष की रहेगी।</p> <p>टिप्पणी 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हता अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, की पदोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के नाम पर भी विचार किया जाएगा बशर्त कि उनकी कार्यावधि अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा, ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठों, जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के साथ ही अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पणी 3: पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पूर्व अथवा वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है, की सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिए समनुरूप ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा सिवाय उन परिस्थितियों में जहां एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमान का</p>	<p>ग्रुप 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्न शामिल होंगे-</p> <ol style="list-style-type: none"> निदेशक डाक सेवाएं - अध्यक्ष सहायक पोस्टमास्टर जनरल - सदस्य रेलवे डाक सेवा के वरिष्ठ अधीक्षक - सदस्य 	<p>संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।</p>

एक समान ग्रेड वेतन या वेतनमान में विलयन किया गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों तक सीमित होगा जिनके लिए उक्त ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड होगा।		
--	--	--

1	2	3	4	5	6
3. बचत बैंक नियंत्रण संगठन में उच्चतर चयन ग्रेड-II	128*(2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड - 2, 9300-34800 रु. + 4200 रु. ग्रेड वेतन	चयन	लागू नहीं

7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा

11	12	13
<p>पदोन्नति :</p> <p>बचत बैंक नियंत्रण संगठन में वेतन बैंड-1 में 5200-20200 रु. + 2800 रु. के ग्रेड वेतन में 6 वर्ष की नियमित सेवा वाले निम्न चयन ग्रेड अधिकारी जिन्होंने उच्चतर पद के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों से संबंधित दो सप्ताह का विभागीय प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है।</p> <p>टिप्पणी 1: इन नियमों की अधिसूचना की तारीख पर बचत बैंक नियंत्रण संगठन में नियमित आधार पर निम्न चयन ग्रेड के फीडर पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के लिए अर्हक सेवा तीन वर्ष ही रहेगी।</p> <p>टिप्पणी 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हता अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, की पदोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के नाम पर भी विचार किया जाएगा बतौर कि उनकी कार्यवधि अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा, ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठों, जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के साथ ही अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पणी 3: पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पूर्व अथवा वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है, की सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिए समनुरूप ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा सिवाए उन परिस्थितियों में जहां एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमान का एक समान ग्रेड वेतन या वेतनमान में विलयन किया गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों तक सीमित होगा जिनके लिए उक्त ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड होगा।</p>	<p>ग्रुप 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्न शामिल होंगे-</p> <ol style="list-style-type: none"> निदेशक डाक सेवा - अध्यक्ष सहायक पोस्टमास्टर जनरल - सदस्य डाकघरों के वरिष्ठ अधीक्षक - सदस्य 	<p>संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।</p>

1	2	3	4	5	6
4. सर्किल कार्यालय/ क्षेत्रीय कार्यालय में उच्चतर चयन ग्रेड II	57* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप 'ख', अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैंड - 2, 9300-34800 रु. + 4200 रु. ग्रेड वेतन	चयन	लागू नहीं

7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा

11	12	13
<p>पदोन्नति :</p> <p>सर्किल कार्यालय/ क्षेत्रीय कार्यालय में वेतन बैंड-1 में 5200-20200 रु. + 2800 रु. के ग्रेड वेतन में 6 वर्ष की नियमित सेवा वाले निम्न चयन ग्रेड अधिकारी जिन्होंने उच्चतर पद के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों से संबंधित दो सप्ताह का विभागीय प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है।</p> <p>टिप्पणी 1: इन नियमों की अधिसूचना की तारीख पर सर्किल कार्यालय/ क्षेत्रीय कार्यालय में नियमित आधार पर निम्न चयन ग्रेड के फीडर पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के लिए अर्हक सेवा तीन वर्ष ही रहेगी।</p> <p>टिप्पणी 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हता अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, की पदोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के नाम पर भी विचार किया जाएगा बतौर कि उनकी कार्यवधि अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा, ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठों, जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के साथ ही अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पणी 3: पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पूर्व अथवा वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है, की सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिए समनुरूप ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा सिवाय उन परिस्थितियों में जहां एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमान का एक समान ग्रेड वेतन या वेतनमान में विलयन किया गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों तक सीमित होगा जिनके लिए उक्त ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड होगा।</p>	<p>ग्रुप 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्न शामिल होंगे-</p> <ol style="list-style-type: none"> निदेशक डाक सेवाएं - अध्यक्ष; सहायक पोस्टमास्टर जनरल - सदस्य; डाकघरों के वरिष्ठ अधीक्षक - सदस्य 	<p>संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।</p>

1	2	3	4	5	6
5. पुनः प्रेषण कार्यालय में उच्चतर चयन ग्रेड II	10* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप 'ख', अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैंड - 2, 9300-34800 रु. + 4200 रु. ग्रेड वेतन	चयन	लागू नहीं

7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा

11	12	13
<p>पदोन्नति :</p> <p>पुनः प्रेशण कार्यालय में वेतन बैंड-1 में 5200-20200 रु. + 2800 रु. के ग्रेड वेतन में 6 वर्ष की नियमित सेवा वाले निम्न चयन ग्रेड अधिकारी जिन्होंने उच्चतर पद के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों से संबंधित दो सप्ताह का विभागीय प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है।</p> <p>टिप्पणी 1: इन नियमों की अधिसूचना की तारीख पर पुनः प्रेशण कार्यालय में नियमित आधार पर निम्न चयन ग्रेड के फीडर पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के लिए अर्हक सेवा तीन वर्ष ही रहेगी।</p> <p>टिप्पणी 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हता अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, की पदोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के नाम पर भी विचार किया जाएगा बर्नाते कि उनकी कार्यावधि अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा, ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठों, जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के साथ ही अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पणी 3: पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पूर्व अथवा वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संभोधित वेतन संरचना लागू की गई है, की सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिए समनुरूप ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा सिवाय उन परिस्थितियों में जहां एक से अधिक पूर्व संभोधित वेतनमान का एक समान ग्रेड वेतन या वेतनमान में विलयन किया गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों तक सीमित होगा जिनके लिए उक्त ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड होगा।</p>	<p>ग्रुप 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्न शामिल होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> निदेशक डाक सेवाएं - अध्यक्ष; सहायक पोस्टमास्टर जनरल - सदस्य; डाकघरों के वरिष्ठ अधीक्षक - सदस्य 	<p>संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।</p>

1	2	3	4	5	6
6. विदेभा डाक, मुम्बई में उच्चतर चयन ग्रेड II	20* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप 'ख', अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैंड - 2, 9300-34800 रु. + 4200 रु. ग्रेड वेतन	चयन	लागू नहीं

7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा

11	12	13
<p>पदोन्नति :</p> <p>विदेभा डाक, मुम्बई में वेतन बैंड-1 में 5200-20200 रु. + 2800 रु. के ग्रेड वेतन में 6 वर्ष की नियमित सेवा वाले निम्न चयन ग्रेड अधिकारी जिन्होंने उच्चतर पद के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों से संबंधित दो सप्ताह का विभागीय प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है।</p> <p>टिप्पणी 1: इन नियमों की अधिसूचना की तारीख पर विदे 1 डाक, मुम्बई में नियमित आधार पर निम्न चयन ग्रेड के फीडर पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के लिए अर्हक सेवा तीन वर्ष ही रहेगी।</p> <p>टिप्पणी 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हता अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, की पदोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के नाम पर भी विचार किया जाएगा बर्भाते कि उनकी कार्यावधि अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा, ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठों, जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के साथ ही अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पणी 3: पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पूर्व अथवा वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संभावित वेतन संरचना लागू की गई है, की सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिए समनुरूप ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा सिवाय उन परिस्थितियों में जहां एक से अधिक पूर्व संभावित वेतनमान का एक समान ग्रेड वेतन या वेतनमान में विलयन किया गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों तक सीमित होगा जिनके लिए उक्त ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड होगा।</p>	<p>ग्रुप 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्न शामिल होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निदेभाक डाक सेवाएं - अध्यक्ष; 2. सहायक पोस्टमास्टर जनरल - सदस्य; 3. डाकघरों के वरिष्ठ अधीक्षक - सदस्य 	<p>संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।</p>

1	2	3	4	5	6
7. स्वतंत्र डाक भंडार डिपो में उच्चतर चयन ग्रेड II	23* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप 'ख', अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैंड - 2 9300-34800 रु. + 4200 रु. ग्रेड वेतन	चयन	लागू नहीं

7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा

11	12	13
<p>पदोन्नति :</p> <p>स्वतंत्र डाक भंडार डिपो में वेतन बैंड-1 में 5200-20200 रु. + 2800 रु. के ग्रेड वेतन में 6 वर्ष की नियमित सेवा वाले निम्न चयन ग्रेड अधिकारी जिन्होंने उच्चतर पद के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों से संबंधित दो सप्ताह का विभागीय प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है।</p>	<p>ग्रुप 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्न शामिल होंगे-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निदेभाक डाक सेवाएं -अध्यक्ष; 	<p>संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।</p>

<p>टिप्पणी 1: इन नियमों की अधिसूचना की तारीख पर स्वतंत्र डाक भंडार डिपो में नियमित आधार पर निम्न चयन ग्रेड के फीडर पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के लिए अर्हक सेवा तीन वर्ष ही रहेगी।</p> <p>टिप्पणी 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हता अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, की पदोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के नाम पर भी विचार किया जाएगा बर्भात कि उनकी कार्यावधि अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा, ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठों, जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के साथ ही अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पणी 3: पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पूर्व अथवा वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संभोधित वेतन संरचना लागू की गई है, की सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिए समनुरूप ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा सिवाय उन परिस्थितियों में जहां एक से अधिक पूर्व संभोधित वेतनमान का एक समान ग्रेड वेतन या वेतनमान में विलयन किया गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों तक सीमित होगा जिनके लिए उक्त ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड होगा।</p>	<p>2. सहायक पोस्टमास्टर जनरल - सदस्य; 3. डाकघरों के वरिष्ठ अधीक्षक - सदस्य</p>	
---	--	--

[फा. सं. 44-19/2009-एसपीबी-II]
राजकुमार, निदेशाक (स्टाफ)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Posts)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2013

G.S.R. 746(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Posts and Telegraphs (Selection Grade Posts) Recruitment Rules, 1976, in so far as they relate to the posts of Higher Selection Grade II, and the Indian Posts and Telegraphs Higher Selection Grade II Head Clerks and Higher Selection Grade I Head Clerks (Savings Bank Control and Pairing Organisation) Recruitment Rules, 1981, in so far as they relate to the posts of Higher Selection Grade II except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Higher Selection Grade II in the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Posts, namely :-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Posts, Post Offices (including Foreign Post Offices other than at Mumbai), Railway Mail Service Offices, Savings Banks Control Organisation, Circle Office/Regional Offices, Returned Letter Offices, Foreign Posts at Mumbai and Independent Postal Stores Depot, Higher Selection Grade II, Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2013.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of said posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.**—No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and think that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
1. Higher Selection Grade II in Post Offices (including Foreign Post Offices other than at Mumbai.)	1711* (2013) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial.	Pay band-2 Rs.9300-34800 plus grade pay Rs.4200.	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
Not applicable	Not applicable.	Two years.	By promotion.

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
<p>Promotion:</p> <p>Lower Selection Grade officials working in Post Offices with six years regular service in pay band-1 Rs.5200-20200 plus grade pay Rs. 2800 who have successfully completed Departmental training of two weeks relating to duties and responsibilities of the higher post.</p> <p>Note 1: The eligibility service shall continue to be three years for person holding the feeder posts of Lower Selection Grade in Post Offices on regular basis on the date of notification of these rules.</p> <p>Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director Postal Services - Chairman 2. Assistant Postmaster General -Member 3. Senior Superintendent of Post Offices -Member 	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

1	2	3	4	5	6
2. Higher Selection Grade II in Railway Mail Service Offices	384* (2013) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial	Pay Band-2 Rs.9300-34800 plus grade pay Rs.4200.	Selection	Not applicable

7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Two years	By promotion

11	12	13
<p>Promotion:</p> <p>Lower Selection Grade officials working in Railway Mail Service Office with six years regular service in pay band-1 Rs.5200-20200 plus grade pay Rs.2800/ who have successfully completed Departmental training of two weeks relating to duties and responsibilities of the higher post.</p> <p>Note 1: The eligibility service shall continue to be three years for person holding the feeder posts of Lower Selection Grade in Railway Mail Service Offices on regular basis on the date of notification of these rules.</p> <p>Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendation of the Sixth Central Pay Commission has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director Postal Services – Chairman; 2. Assistant Postmaster General-Member; 3. Senior Superintendent of Railway Mail Service -Member. 	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

1	2	3	4	5	6
3. Higher Selection Grade II in Savings Banks Control Organisation	128* (2013) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted-Ministerial	Pay band-2 Rs.9300-34800 plus grade pay Rs. 4200	Selection	Not applicable

7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Two Years	By promotion

11	12	13
<p>Promotion:</p> <p>Lower Selection Grade officials working in Savings Bank Control Organisation with six years regular service in pay</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion)consisting of:-</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not</p>

<p>band-1 Rs.5200-20200 plus grade pay Rs. 2800 who have successfully completed Departmental training of two weeks relating to duties and responsibilities of the higher post.</p> <p>Note 1: The eligibility service shall continue to be three years for person holding the feeder posts of Lower Selection Grade in Savings Bank Control Organisation on regular basis on the date of notification of these rules.</p> <p>Note 2 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Director Postal Services – Chairman; 2. Assistant Postmaster General-Member; 3. Senior Superintendent of Post Offices -Member. 	<p>necessary.</p>
--	---	-------------------

1	2	3	4	5	6
4. Higher Selection Grade II in Circle Offices/ Regional Offices	57* (2013) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted-Ministerial	Pay band-2 Rs. 9300-34800 plus grade pay Rs. 4200	Selection.	Not applicable.

7	8	9	10
Not applicable.	Not applicable.	Two Years.	By promotion.

11	12	13
<p>Promotion: Lower Selection Grade officials working in Circle Office/Regional Offices with six years regular service in pay band-1 Rs.5200-20200 plus grade pay Rs.2800 who have successfully completed Departmental training of two weeks relating to duties and responsibilities of the higher post.</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director Postal Services – Chairman; 2. Assistant Postmaster General-Member; 	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

<p>Note 1: The eligibility service shall continue to be three years for person holding the feeder posts of Lower Selection Grade in Circle Office / Regional Offices on regular basis on the date of notification of these rules.</p> <p>Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered - provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>	3. Senior Superintendent of Post Offices -Member.	
---	---	--

1	2	3	4	5	6
5. Higher Selection Grade II in Returned Letter Offices.	10* (2013) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted-Ministerial.	Pay band-2 Rs.9300-34800 plus grade pay Rs.4200.	Selection.	Not applicable.

7	8	9	10
Not applicable.	Not applicable.	Two Years.	By promotion.

11	12	13
<p>Promotion: Lower Selection Grade officials working in Returned Letter Offices with six years regular service in pay band-1 Rs. 5200-20200 plus grade pay Rs. 2800 who have successfully completed Departmental training of two weeks relating to duties and responsibilities of the higher post.</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Director Postal Services - Chairman; 2. Assistant Postmaster General-Member;</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

<p>Note 1: The eligibility service shall continue to be three years for person holding the feeder posts of Lower Selection Grade in Returned Letter Offices on regular basis on the date of notification of these rules.</p> <p>Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>	3.Senior Superintendent of Post Offices -Member.	
--	--	--

1	2	3	4	5	6
6. Higher Selection Grade II in Foreign Post at Mumbai	20* (2013) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted Ministerial	Pay band-2 Rs. 9300-34800 plus grade pay Rs. 4200	Selection.	Not applicable.

7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Two years	By promotion

11	12	13
<p>Promotion: Lower Selection Grade officials working in Foreign Posts Offices at Mumbai with six years regular service in pay band-1 Rs.5200-20200 plus grade pay Rs.2800 who have successfully completed Departmental training of two weeks relating to duties and responsibilities of the higher post.</p> <p>Note 1: The eligibility service shall continue to be three years for person holding the feeder posts of Lower</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <p>1. Director Postal Services – Chairman;</p> <p>2. Assistant Postmaster General-Member;</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

<p>Selection Grade in Foreign Posts Offices at Mumbai on regular basis on the date of notification of these rules.</p> <p>Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>	<p>3.Senior Superintendent of Post Offices -Member.</p>	
---	---	--

1	2	3	4	5	6
7. Higher Selection Grade II in Independent Postal Stores Depot	23* (2013) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted Ministerial	Pay band-2 Rs.9300-34800 plus grade pay Rs.4200	Selection	Not applicable

7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Two years	By promotion

11	12	13
<p>Promotion: Lower Selection Grade officials working in Independent Postal Stores Depot with six years regular service in pay band-1 5200-20200 plus grade pay Rs.2800 who have successfully completed Departmental training of two weeks relating to duties and responsibilities of the higher post.</p> <p>Note 1: The eligibility service shall continue to be three years for person holding the feeder posts of Lower Selection Grade in Independent Postal Stores Depot on regular basis on the date of notification of these rules.</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director Postal Services – Chairman; 2. Assistant Postmaster General-Member; 3. Senior Superintendent of Post Offices - Member. 	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

<p>Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>		
--	--	--

[F. No. 44-19/2009-SPB. II]
RAJ KUMAR, Director (Staff)